मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी-6-2/2000/3/एक

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी, 2000

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के विरुद्ध लंबित विभागीय जांच/अभियोजन प्रकरणों का समयावधि में निराकरण.

संदर्भ.—सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक सी-5-3/एक(3) 91, दिनांक 8-2-91, क्रमांक सी-6-4/98/3/एक, दिनांक 12-8-98 तथा सी-6-2/98/3/एक, दिनांक 8-2-99.

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संदर्भित परिपत्रों का कृपया अवलोकन करें जिनके द्वारा विभागीय जांच/अभियोजन के प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर समयावधि में निराकृत करने के निर्देश दिये गये थे. साथ ही, विलंब के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित कर दोषी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का उल्लेख किया गया था.

2. विभागीय जांच/अनुशासनात्मक कार्यवाही/अभियोजन प्रकरणों में प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही न होने से आरोपीकर्मी के विरुद्ध समय पर कड़ी कार्यवाही नहीं हो पाती. साथ ही, ऐसे लंबित प्रकरणों के कारण सेवानिवृत्ति के उपरांत अपने सेवानिवृत्ति स्वत्वों को प्राप्त करने में कठिनाई होती है.

3. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप दिनांक 8-2-91 द्वारा निर्देश जारी किये गये थे कि सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरण सेवानिवृत्ति के तिथि के 2 वर्ष पूर्व ही पेंशन के कागजात तैयार किये जाने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाय. साथ ही, ऐसे प्रकरण में अनुशासनात्मक कार्यवाही एक समयबद्ध कार्यक्रम के मुताबिक निराकृत किये जावे ताकि निर्णयोपरांत "न जांच प्रमाण-पत्र" जारी करने में कठिनाई उत्पन्न न हो.

4. कृपया उपरोक्त निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित किया जावे और सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के विरुद्ध लंबित विभागीय जांच/अभियोजन प्रकरणों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जावे. प्रभाव यह होना चाहिये कि ये सब कार्रवाईयां सेवानिवृत्ति के पूर्व पूरी हो जायें. जिससे कि सेवानिवृत्ति के दिन से ही सेवानिवृत्त व्यक्ति को पेंशन प्राप्त हो सके.

हस्ता./-
(एम. के. वर्मा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.